भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
पहूज बाँध के पास, झाँसी–ग्वालियर मार्ग, झाँसी – 284003 (उ0 प्र0)

ICAR - Central Agroforestry Research Institute
Near Pahuj Dam, Gwalior Road, Jhansi (UP) -284003

☎ : 0510 – 2730214, 2730154 *Fax* : 0510 – 2730364 *Web* : www.nrcaf.res.in

क्रमांक : 3–22(23)/M.F./ICAR-CAFRI दिनाँक : 20/05/2025

कार्यालय आदेश

इस संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के स्टाफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक पात्र आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कराये जाने के आशय से निदेशक, केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा निम्नलिखित अस्पताल को, जिसको कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा किये गये अनुबन्ध की नियमों एवं शर्तों के अनुरूप, सी.जी.एच.एस./सी.एस.(एम.ए.) की अनुमोदित दरों पर मैडिकल अटेण्डेन्स एवं उपचार के लिए (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग), अनुमोदन प्रदान कर दिया है :–

"जेन्या हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, मयूर विहार कॉलोनी, यादव मैडीकल स्टोर के बगल वाली गली में, मैडीकल कॉलेज गेट नम्बर–1 के सामने झाँसी (उ0प्र0)"

अतः संस्थान के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी एवं इनके पारिवारिक आश्रित उपरोक्तांकित चिकित्सालय से चिकित्सीय सुविधाओं / परीक्षणों को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं –

1. उपरोक्तांकित अस्पताल के प्रशासक से स्वयं एवं अपने पारिवारिक आश्रितों की मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार की सुविधा (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के सम्बन्ध में) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अपने स्वयं के परिचय–पत्र को अस्पताल की सम्बन्धित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं ।
2. पारिवारिक आश्रितों को इन चिकित्सालयों से सुविधाएँ प्राप्त करवाने हेतु संस्थान के स्थापना अनुभाग से अलग से परिचय–पत्र का प्रारूप वाँछित दिशा–निर्देशों सहित परिपत्रित किया जायेगा ।
3. इस संस्थान के पेन्शनर्स भा.चा.एवं चा.अनु.सं., झाँसी के अंशकालीन डॉक्टर से रैफर होने की स्थिति में परिषद के नियमों के अन्तर्गत, उपरोक्तांकित अस्पतालों से मेडीकल अटेण्डेन्स/ उपचार प्राप्त कर सकेंगे।
4. संस्थान के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी एवं पेन्शनर्स तथा उनके पारिवारिक आश्रितों को मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार इत्यादि की सुविधाएँ सी.जी.एच.एस./सी.एस.(एम.ए.) की अनुमन्य दरों एवं पैकेज के आधार पर प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जायेगी । उपचार का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी / पेन्शनर को स्वयं करना होगा ।
5. आकस्मिक स्थिति में उपरोक्तांकित अस्पताल द्वारा 24 घण्टे चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी ।
6. यदि किसी भी स्टाफ अथवा उसके पारिवारिक आश्रितों को उपरोक्तांकित किसी भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो उसकी सूचना सम्बन्धित स्टाफ द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को 24 घण्टे के अन्दर मोबाईल नम्बर 9415738359 पर देना आवश्यक होगा ।
7. (i) संस्थान के अधिकारी / कर्मचारी एवं उनके पात्र आश्रितों को लैब में परीक्षण के बिल का पूर्ण भुगतान करना होगा । परन्तु उसकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) CGHS / CSMA की अनुमन्य दरों से अथवा चिकित्सालय द्वारा ली गयी वास्तविक धनराशि (जो भी कम हो), का भुगतान संस्थान द्वारा चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा ।
 (ii) पेन्शनर्स एवं उनके पात्र आश्रितों को लैब में चिकित्सा परीक्षणों का भुगतान अन्तःरोगी (IPD) से सम्बन्धित चिकित्सा प्रकरण में ही किया जाएगा तथा बिल का सम्पूर्ण भुगतान स्वयं करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) CGHS / CSMA की अनुमन्य दरों से अथवा चिकित्सालय द्वारा ली गयी वास्तविक धनराशि (जो भी कम हो), का भुगतान संस्थान द्वारा चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा ।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदन के पश्चात् जारी किया जा रहा है ।

20/5/25

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष

वितरण :–

1. समस्त कार्यक्रम प्रमुख / इकाई प्रमुख / प्रभारी अधिकारी, भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस परिपत्र की विषय–वस्तु को आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने अधीनस्थ वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में लाने की कृपा करें ।
2. प्रशासक, "जेन्या हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, मयूर विहार कॉलोनी, यादव मैडीकल स्टोर के बगल वाली गली में, मैडीकल कॉलेज गेट नम्बर–1 के सामने झाँसी (उ0प्र0)" को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संस्थान के मरीजों (स्टाफ/पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक आश्रितों) को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ।
3. निदेशक महोदय, भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को सूचनार्थ प्रस्तुत ।
4. डॉ0 एच0 अनुरागी, वैज्ञानिक (व.वे.) एवं प्रभारी अधिकारी (AKMU), भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को परिपत्र की विषय–वस्तु को संस्थान की वैबसाइट पर सभी स्टाफ एवं पेन्शनर्स को सूचनार्थ करने हेतु ।
5. सूचना पटल / सम्बन्धित फाइल ।

भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान

पहूज बॉध के पास, झॉसी–ग्वालियर मार्ग, झॉसी – 284003 (उ0 प्र0)

ICAR - Central Agroforestry Research Institute

Near Pahuj Dam, Gwalior Road, Jhansi (UP) -284003

☎ : 0510 – 2730214, 2730154 *Fax* : 0510 – 2730364 *Web* : www.nrcaf.res.in

क्रमांक : 3–22(23) / M.F./ICAR-CAFRI दिनॉक : 11 / 02 / 2025

कार्यालय आदेश

इस संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के स्टाफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक पात्र आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कराये जाने के आशय से निदेशक, केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झॉसी द्वारा निम्नलिखित अस्पताल को, जिसको कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झॉसी द्वारा किये गये अनुबन्ध की नियमों एवं शर्तो के अनुरूप, सी.जी.एच.एस. / सी.एस.(एम.ए.) की अनुमोदित दरों पर मैडिकल अटेण्डेन्स एवं उपचार के लिए (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग), अनुमोदन प्रदान कर दिया है :–

"शार्प साईट आई हॉस्पिटल, एम्ब्रोसिया हाईट्स, 1089 – सिविल लाइन्स, इलाइट–सीपरी रोड, आयकर भवन के पास, झॉसी (उ0प्र0)"

अतः संस्थान के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी एवं इनके पारिवारिक आश्रित उपरोक्तांकित चिकित्सालय से चिकित्सीय सुविधाओं / परीक्षणों को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं –

1. उपरोक्तांकित अस्पताल के प्रशासक से स्वयं एवं अपने पारिवारिक आश्रितों की मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार की सुविधा (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के सम्बन्ध में) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी अपने स्वयं के परिचय–पत्र को अस्पताल की सम्बन्धित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं ।
2. इस संस्थान के पेन्शनर्स भा.चा.एवं चा.अनु.सं., झॉसी के अंशकालीन डॉक्टर से रैफर होने की स्थिति में परिषद के नियमों के अन्तर्गत, उपरोक्तांकित अस्पतालों से मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार प्राप्त कर सकेंगे।
3. संस्थान के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी एवं पेन्शनर्स तथा उनके पारिवारिक आश्रितों को मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार इत्यादि की सुविधाएँ सी.जी.एच.एस / सी.एस.(एम.ए.) की अनुमन्य दरों एवं पैकेज के आधार पर प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जायेगी । उपचार का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी / पेन्शनर को स्वयं करना होगा ।
4. आकस्मिक स्थिति में उपरोक्तांकित अस्पताल द्वारा 24 घण्टे चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी ।
5. यदि किसी भी स्टाफ अथवा उसके पारिवारिक आश्रितों को उपरोक्ताकित किसी भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो उसकी सूचना सम्बन्धित स्टाफ द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को 24 घण्टे के अन्दर मोबाईल नम्बर 9415738359 पर देना आवश्यक होगा ।
6. (i) संस्थान के अधिकारी / कर्मचारी एवं उनके पात्र आश्रितों को लैब में परीक्षण के बिल का पूर्ण भुगतान करना होगा । परन्तु उसकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) CGHS / CSMA की अनुमन्य दरों से अथवा चिकित्सालय द्वारा ली गयी वास्तविक धनराशि (जो भी कम हो), का भुगतान संस्थान द्वारा चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा ।
 (ii) पेन्शनर्स एवं उनके पात्र आश्रितों को लैब में चिकित्सा परीक्षणों का भुगतान अन्तःरोगी (IPD) से सम्बन्धित चिकित्सा प्रकरण में ही किया जाएगा तथा बिल का सम्पूर्ण भुगतान स्वयं करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) CGHS / CSMA की अनुमन्य दरों से अथवा चिकित्सालय द्वारा ली गयी वास्तविक धनराशि (जो भी कम हो), का भुगतान संस्थान द्वारा चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा ।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदन के पश्चात् जारी किया जा रहा है ।

11/2/25

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष

वितरण :–

1. समस्त कार्यक्रम प्रमुख / इकाई प्रमुख / प्रभारी अधिकारी, भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झॉसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस परिपत्र की विषय–वस्तु को आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने अधीनस्थ वैज्ञानिकों / अधिकारियों / कर्मचारियों के संज्ञान में लाने की कृपा करें ।
2. प्रशासक, शार्प साईट आई हॉस्पिटल, एम्ब्रोसिया हाईट्स, 1089 – सिविल लाइन्स, इलाइट–सीपरी रोड, आयकर भवन के पास, झॉसी (उ0प्र0) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संस्थान के मरीजों (स्टाफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक आश्रितों) को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ।
3. निदेशक महोदय, भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झॉसी को सूचनार्थ प्रस्तुत ।
4. डॉ0 एच0 अनुरागी, वैज्ञानिक (व.वे.) एवं प्रभारी अधिकारी (AKMU), भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झॉसी को परिपत्र की विषय–वस्तु को संस्थान की वैबसाइट पर सभी स्टाफ एवं पेन्शनर्स को सूचनार्थ करने हेतु ।
5. सूचना पटल / सम्बन्धित फाइल ।

भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
पहूज बाँध के पास, झाँसी–ग्वालियर मार्ग, झाँसी – 284003 (उ0 प्र0)

ICAR - Central Agroforestry Research Institute
Near Pahuj Dam, Gwalior Road, Jhansi (UP) -284003

☎ : 0510 – 2730214, 2730154 *Fax* : 0510 – 2730364 *Web* : www.nrcaf.res.in

क्रमांक : 3–22(23) / M.F./ICAR-CAFRI दिनाँक : 06 / 12 / 2023

कार्यालय आदेश

इस संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के स्टॉफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक पात्र आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कराये जाने के आशय से निदेशक, केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा निम्नलिखित अस्पताल को अनुबन्ध की नियमों एवं शर्तों के अनुरूप, सी.जी.एच.एस. / सी.एस.(एम.ए.) की अनुमोदित दरों पर मैडिकल अटेण्डेन्स एवं उपचार के लिए (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग), एवं डायग्नोस्टिक सुविधा (पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी तथा सीटी स्कैन) हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है :–

1. **बुन्देलखण्ड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मेडिकल तिराहा, कानपुर बाईपास रोड, झाँसी**

अतः संस्थान के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी एवं इनके पारिवारिक आश्रित उपरोक्तांकित अस्पताल में निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं –

1. सम्बन्धित अस्पताल के प्रशासक से स्वयं एवं अपने पारिवारिक आश्रितों की मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार की सुविधा (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के सम्बन्ध में) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी अपने स्वयं के परिचय–पत्र को अस्पताल की सम्बन्धित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं ।
2. इस संस्थान के पेन्शनर्स भा.चा.एवं चा.अनु.सं., झाँसी के अंशकालीन डॉक्टर से रैफर होने की स्थिति में परिषद के नियमों के अन्तर्गत, उपरोक्तांकित अस्पताल से मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार प्राप्त कर सकेंगे।
3. संस्थान के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी एवं पेन्शनर्स तथा उनके पारिवारिक आश्रितों को मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार इत्यादि की सुविधाएँ सी.जी.एच.एस. / सी.एस.(एम.ए.) की अनुमन्य दरों एवं पैकेज के आधार पर प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जायेगी । उपचार का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी / पेन्शनर को स्वयं करना होगा ।
4. आकस्मिक स्थिति में उपरोक्तांकित अस्पताल द्वारा 24 घण्टे चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी।
5. यदि किसी भी स्टॉफ अथवा उसके पारिवारिक आश्रितों को उपरोक्तांकित अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो उसकी सूचना सम्बन्धित स्टॉफ द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को 24 घण्टे के अन्दर देना आवश्यक होगा।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदन के पश्चात् जारी किया जा रहा है ।

06/12/23

प्रशासनिक अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष

वितरण :–

1. प्रशासक, **बुन्देलखण्ड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मेडिकल तिराहा, कानपुर बाईपास रोड, झाँसी,** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संस्थान के मरीजों (स्टॉफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक आश्रितों) को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. समस्त कार्यक्रम प्रमुख / इकाई प्रमुख / प्रभारी अधिकारी, भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस परिपत्र की विषय–वस्तु को आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने अधीनस्थ वैज्ञानिकों / अधिकारियों / कर्मचारियों के संज्ञान में लाने की कृपा करें ।
3. निदेशक महोदय, भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को सूचनार्थ प्रस्तुत ।
4. डॉ0 एच0 अनुरागी, वैज्ञानिक (व.वे.) एवं प्रभारी अधिकारी (AKMU), भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को परिपत्र की विषय–वस्तु को संस्थान की वैबसाइट पर सभी स्टॉफ एवं पेन्शनर्स को सूचनार्थ करने हेतु ।
5. सूचना पटल / सम्बन्धित फाइल ।

भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान

पहूज बॉध के पास, झाँसी–ग्वालियर मार्ग, झाँसी – 284003 (उ0 प्र0)

ICAR - Central Agroforestry Research Institute

Near Pahuj Dam, Gwalior Road, Jhansi (UP) -284003

☎ : 0510 – 2730214, 2730154 *Fax* : 0510 – 2730364 *Web* : www.nrcaf.res.in

क्रमांक : 3–22(23) / M.F./ICAR-CAFRI

दिनॉक : 07 / 06 / 2023

कार्यालय आदेश

इस संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के स्टाफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक पात्र आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कराये जाने के आशय से निदेशक, केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा निम्नलिखित अस्पतालों को, जिनको कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा किये गये अनुबन्ध की नियमों एवं शर्तों के अनुरूप, सी.जी.एच.एस. / सी.एस.(एम.ए.) की अनुमोदित दरों पर मैडिकल अटेण्डेन्स एवं उपचार के लिए (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग), अनुमोदन प्रदान कर दिया है :–

अ– **1. विनायक हॉस्पिटल, यात्रिक होटल के पीछे, सिविल लाइन, झाँसी**
2. निर्मल हॉस्पिटल, मैडिकल कॉलेज, गेट नम्बर–3 के सामने, झाँसी
3. लाइफ लाईन सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल एवं हार्ट सेन्टर, कानपुर रोड, झाँसी

ब– संस्थान के निदेशक द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित डायग्नोस्टिक सेन्टर / लैब को भी संस्थान के स्टाफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक पात्र आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिकोण से चिकित्सीय परीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है –

1. **वर्धमान डायग्नोस्टिक, मेडीकल कॉलेज, गेट नम्बर–1 के सामने, झाँसी**
2. **डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, जेडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एच.डी.एफ.सी. बैंक के पास, कानपुर रोड, झाँसी**

अतः संस्थान के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी एवं इनके पारिवारिक आश्रित उपरोक्तांकित अस्पतालों / डायग्नोस्टिक सेन्टर / लैब से चिकित्सीय सुविधाओं / परीक्षणों को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं –

1. उपरोक्तांकित में से सम्बन्धित अस्पताल के प्रशासक से स्वयं एवं अपने पारिवारिक आश्रितों की मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार की सुविधा (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के सम्बन्ध में) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी अपने स्वयं के परिचय–पत्र को अस्पताल की सम्बन्धित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं ।
2. इस संस्थान के पेन्शनर्स भा.चा.एवं चा.अनु.सं., झाँसी के अंशकालीन डॉक्टर से रैफर होने की स्थिति में परिषद के नियमों के अन्तर्गत, उपरोक्तांकित अस्पतालों से मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार प्राप्त कर सकेंगे।
3. संस्थान के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी एवं पेन्शनर्स तथा उनके पारिवारिक आश्रितों को मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार इत्यादि की सुविधाएँ सी.जी.एच.एस. / सी.एस.(एम.ए.) की अनुमन्य दरों एवं पैकेज के आधार पर प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जायेगी । उपचार का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी / पेन्शनर को स्वयं करना होगा ।
4. आकस्मिक स्थिति में उपरोक्तांकित अस्पतालों द्वारा 24 घण्टे चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी ।
5. यदि किसी भी स्टाफ अथवा उसके पारिवारिक आश्रितों को उपरोक्तांकित किसी भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो उसकी सूचना सम्बन्धित स्टाफ द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को 24 घण्टे के अन्दर देना आवश्यक होगा ।
6. (i) संस्थान के अधिकारी / कर्मचारी एवं उनके पात्र आश्रितों को उपरोक्त "ब" पर वर्णित डायग्नोस्टिक सेन्टर / लैब में परीक्षण के बिल पूर्ण भुगतान करना होगा । परन्तु उसकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) CGHS / CSMA की अनुमन्य दरों से संस्थान द्वारा चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा ।
(ii) पेन्शनर्स एवं उनके पात्र आश्रितों को उपरोक्तांकित "ब" पर वर्णित डायग्नोस्टिक सेन्टर / लैब में चिकित्सा परीक्षणों का भुगतान अन्तःरोगी (IPD) से सम्बन्धित चिकित्सा प्रकरण में ही किया जाएगा तथा बिल का सम्पूर्ण भुगतान स्वयं करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) CGHS / CSMA की अनुमन्य दरों से संस्थान द्वारा चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त की जायेगी ।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदन के पश्चात् जारी किया जा रहा है ।

गोतम
07/6/23

प्रशासनिक अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष

वितरण :–

1. समस्त कार्यक्रम प्रमुख / इकाई प्रमुख / प्रभारी अधिकारी, भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस परिपत्र की विषय–वस्तु को आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने अधीनस्थ वैज्ञानिकों / अधिकारियों / कर्मचारियों के संज्ञान में लाने की कृपा करें ।
2. प्रशासक, **विनायक हॉस्पिटल**, यात्रिक होटल के पीछे, सिविल लाइन, झाँसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संस्थान के मरीजों (स्टाफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक आश्रितों) को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ।
3. प्रशासक, **निर्मल हॉस्पिटल**, मैडिकल कॉलेज, गेट नम्बर–3 के सामने, झाँसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संस्थान के मरीजों (स्टाफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक आश्रितों) को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ।
4. प्रशासक, **लाइफ लाईन, कानपुर रोड, झाँसी** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संस्थान के मरीजों (स्टाफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक आश्रितों) को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ।
5. निदेशक महोदय, भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को सूचनार्थ प्रस्तुत ।
6. डॉ0 एच0 अनुरागी, वैज्ञानिक (व.वे.) एवं प्रभारी अधिकारी (AKMU), भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को परिपत्र की विषय–वस्तु को संस्थान की वैबसाइट पर सभी स्टाफ एवं पेन्शनर्स को सूचनार्थ करने हेतु ।
7. सूचना पटल / सम्बन्धित फाइल ।

भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
पहूज बाँध के पास, झाँसी–ग्वालियर मार्ग, झाँसी – 284003 (उ0 प्र0)

ICAR - Central Agroforestry Research Institute
Near Pahuj Dam, Gwalior Road, Jhansi (UP) -284003

☎ : 0510 – 2730214, 2730154 *Fax* : 0510 – 2730364 *Web* : www.nrcaf.res.in

क्रमांक : 3–22(23) / M.F./ICAR-CAFRI

दिनाँक : 23 / 08 / 2024

कार्यालय आदेश

इस संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के स्टाफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक पात्र आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कराये जाने के आशय से निदेशक, केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा निम्नलिखित अस्पताल को, जिसको कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा किये गये अनुबन्ध की नियमों एवं शर्तों के अनुरूप, सी.जी.एच.एस. / सी.एस.(एम.ए.) की अनुमोदित दरों पर मैडिकल अटेण्डेन्स एवं उपचार के लिए (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग), अनुमोदन प्रदान कर दिया है :–

1. यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, झाँसी–मऊरानीपुर हाईवे, ओरछा तिगैला के पास,तहसील निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़ (म0प्र0)

अतः संस्थान के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी एवं इनके पारिवारिक आश्रित उपरोक्तांकित चिकित्सालय से चिकित्सीय सुविधाओं / परीक्षणों को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं –

1. उपरोक्तांकित अस्पताल के प्रशासक से स्वयं एवं अपने पारिवारिक आश्रितों की मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार की सुविधा (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के सम्बन्ध में) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी अपने स्वयं के परिचय–पत्र को अस्पताल की सम्बन्धित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं ।
2. इस संस्थान के पेन्शनर्स भा.चा.एवं चा.अनु.सं., झाँसी के अंशकालीन डॉक्टर से रैफर होने की स्थिति में परिषद के नियमों के अन्तर्गत, उपरोक्तांकित अस्पतालों से मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार प्राप्त कर सकेंगे।
3. संस्थान के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी एवं पेन्शनर्स तथा उनके पारिवारिक आश्रितों को मेडीकल अटेण्डेन्स / उपचार इत्यादि की सुविधाएँ सी.जी.एच.एस. / सी.एस.(एम.ए.) की अनुमन्य दरों एवं पैकेज के आधार पर प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जायेगी । उपचार का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी / पेन्शनर को स्वयं करना होगा ।
4. आकस्मिक स्थिति में उपरोक्तांकित अस्पताल द्वारा 24 घण्टे चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी ।
5. यदि किसी भी स्टाफ अथवा उसके पारिवारिक आश्रितों को उपरोक्तांकित किसी भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो उसकी सूचना सम्बन्धित स्टाफ द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को 24 घण्टे के अन्दर मोबाईल नम्बर **9415738359** पर देना आवश्यक होगा ।
6. (i) संस्थान के अधिकारी / कर्मचारी एवं उनके पात्र आश्रितों को लैब में परीक्षण के बिल का पूर्ण भुगतान करना होगा । परन्तु उसकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) CGHS / CSMA की अनुमन्य दरों से <u>अथवा</u> चिकित्सालय द्वारा ली गयी वास्तविक धनराशि (जो भी कम हो), का भुगतान संस्थान द्वारा चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा ।
 (ii) पेन्शनर्स एवं उनके पात्र आश्रितों को लैब में चिकित्सा परीक्षणों का भुगतान अन्तःरोगी (IPD) से सम्बन्धित चिकित्सा प्रकरण में ही किया जाएगा तथा बिल का सम्पूर्ण भुगतान स्वयं करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) CGHS / CSMA की अनुमन्य दरों से <u>अथवा</u> चिकित्सालय द्वारा ली गयी वास्तविक धनराशि (जो भी कम हो), का भुगतान संस्थान द्वारा चिकित्सा दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा ।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदन के पश्चात् जारी किया जा रहा है ।

गातम 23/8/24

प्रशासनिक अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष

वितरण :–

1. समस्त कार्यक्रम प्रमुख / इकाई प्रमुख / प्रभारी अधिकारी, भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस परिपत्र की विषय–वस्तु को आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने अधीनस्थ वैज्ञानिकों / अधिकारियों / कर्मचारियों के संज्ञान में लाने की कृपा करें ।
2. प्रशासक, **यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, झाँसी–मऊरानीपुर हाईवे, ओरछा तिगैला के पास,तहसील निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़ (म0प्र0)** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संस्थान के मरीजों (स्टाफ / पेन्शनर्स एवं उनके पारिवारिक आश्रितों) को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ।
3. निदेशक महोदय, भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को सूचनार्थ प्रस्तुत ।
4. डॉ0 एच0 अनुरागी, वैज्ञानिक (व.वे.) एवं प्रभारी अधिकारी (AKMU), भा.कृ.अनु.परि. – के.कृ.वा.अनु.संस्थान, झाँसी को परिपत्र की विषय–वस्तु को संस्थान की वैबसाइट पर सभी स्टाफ एवं पेन्शनर्स को सूचनार्थ करने हेतु ।
5. सूचना पटल / सम्बन्धित फाइल ।

S P 806

भाकृअनुप–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
कृषिवानिकी विहार, झाँसी–284 003, उत्तर प्रदेश
ICAR–Central Agroforestry Research Institute
Krishivaniki Vihar, Jhansi–284 003, Uttar Pradesh
Telephone: +91-510-2730214; Website: https://cafri.res.in

139

पत्रांक 1–22(23)/MF ICAR-CAFRI

दिनांक 18.03.2026

परिपत्र

इस संस्थान के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के स्टॉफ एवं उनके आश्रित, पेंशनर एवं उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान कराये जाने हेतु परिषद् से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है एवं इस संबंध में निदेशक, केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान,झाँसी एवं दिव्य ज्योति अस्पताल अपोजिट मेडिकल कॉलेज गेट नं. 4 के समीप आशाकवाणी, झाँसी (Divya Jyoti Hospital Opposite Medical College, Gate No.4, Near Akashvani, Jhansi) के साथ दिनांक 10 मार्च, 2026 को एम.ओ.ए. किया जा चुका है।

अतः संस्थान में कार्यरत एवं उनके आश्रित तथा सभी पेंशनर एवं उनके आश्रित को उपरोक्त चिकित्सालय से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं ।

1 दिव्य ज्योति अस्पताल अपोजिट मेडिकल कॉलेज गेट न 4 के समीप आशाकवाणी, झाँसी से प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी स्वयं एवं अपने पारिवारिक आश्रित की मेडिकल अटेंडेंस/उपचार की सुविधा (बाह्य रोगी विभाग एवं अतः रोगी विभाग दोनों के संबंध में) अस्पताल की संबंधित डेस्क पर परिचय पत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं ।

2 संस्थान के पेंशनर एवं उनके आश्रित भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसुंधान संस्थाान, झाँसी के डॉक्टर द्वारा रैफर होने की स्थिति में परिषद के नियमों के अन्तर्गत दिव्य ज्योति अस्पताल अपोजिट मेडिकल कॉलेज गेट नं. 4 के समीप आशाकवाणी, झाँसी से मेडिकल अटेंडेन्स/उपचार अपने स्वंय के परिचय–पत्र अस्पताल की संबंधित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पेंशनर एवं उनके पारिवारिक आश्रितों को मेडिकल अटेंडेंस/उपचार इत्यादि की सुविधायें सी.एस.(एम.ए.)/सी.जी.एच.एस. की अनुमोदित दरों पर संबंधित अस्पताल से उपचार के पूर्व भुगतान करने के आधार पर प्राप्त हो सकेंगी जिसकी वापसी का भुगतान उन्हें सी.एस (एम.ए.)/सी.जी.एच.एस. की दरों एवं वास्तविक व्यय, में से जो भी कम धनराशि होगी, की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जायेगी ।

3 यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके आश्रित एवं पेंशनर एवं पारिवारिक आश्रितों को इन अस्पतालों में भी (IPD मरीज हेतु) करना पडता है, तो इसकी सूचना संस्थान प्रशासन को देना आवश्यक होगा ।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

Mehtwani 18/03/26

वरि0 प्रशासनिक अधिकारी एवं
कार्यालय प्रमुख

वितरणः

1. सभी कार्यक्रम प्रमुख/वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों एवं इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों तथा इन अनुभागों/इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने विभाग/अनुभाग/इकाई में कार्यरत सभी स्टॉफ को परिपत्र करने का कष्ट करें ।
2. प्रबंध निदेशक, दिव्य ज्योति आई हॉस्पिटल अपोजिट मेडिकल कॉलेज गेट न 4 के समीप आशाकवाणी झाँसी।
3. निदेशक, भा0कृ0अन0परि0–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसधान संस्थान झाँसी को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी, ए0के0एम0यू0 केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान झाँसी को सूचनार्थ एवं संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. निदेशक, भा0कृ0अनु0परि0 भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थाान,झाँसी को सूचनार्थ हेतु इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित डॉक्टर को निर्देशित करने की कृपा करें।